No

संख्या–1113 /26–3–2011–9(82)/2000

प्रेषक,

बी0 बी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति आयोग,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3

लखनऊः दिनांकः 21 अप्रैल, 2011

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2011–2012 में उ0प्र0 अनुसुचित जाति एवं जनजाति आयोग के लिए अनुदान संख्या–80 के अंतर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में किये गये आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष प्रथम छमाही हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011 –231/2011, दिनांक 21–3–2011 जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश को पृष्ठांकित है, में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश अनुसुचित जाति एवं जनजाति आयोग के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2011–2012 में किये गये आय–व्ययक प्राविधान रू0 306.62 लाख के सापेक्ष निम्न प्रकार दिये गये विवरण के अनुसार प्रथम छमाही हेतु कुल रू0 1,53,31,000/–(रूपया एक करोड़ तिरपन लाख इकतीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अनुसार अवमुक्त कर व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

योजना/मद का नाम	(धनराशि हजार रूपयों में)
2225–01–800–	
07–अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग–	
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)–	3500
31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)–	11831
योग–	15331
(रूपया एक करोड़ तिरपन लाख इकतीस हजार मात्र)	

(1) आयोग द्वारा मितव्ययिता संबंधी मदों में व्यय हेतु समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इन मदों में बचत तथा अनुदान के उपयोग की सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृत अनुदान पर अनुदान नियमावली में उल्लिखित नियम लागू होगें। अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। योजनाओं में कोषागार से धनराशि का आहरण त्रैमासिक किस्तों में तथा तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(2) उपर्युक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि आयोग द्वारा अवशेष धनराशि की स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को भेजते समय वर्ष 2010–11 में स्वीकृति की गयी धनराशि

का उपभोग प्रमाण पत्र तथा उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता/उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

(3) उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बी–1–901/दस–2011 –231/2011, दिनांक 21–3–2011 में निहित निर्देशों/ प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–80 के लेखाशीर्षक–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण –आयोजनेत्तर –01– अनुसूचित जातियों का कल्याण–800–अन्य व्यय–07 – अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग–20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)– 31–सहायता अनुदान–सामान्य(वेतन) के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बी–1–901/दस–2011 –231/2011, दिनांक 21–3–2011 में निहित निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0 बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या– 1113 (1)/26–3–2011 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0, लखनऊ।
5– अध्यक्ष, उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
7– निदेशक एन0आई0 सी0 योजना भवन, लखनऊ।
8– सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन/गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव